

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

इन्द्र कंवर पुत्री स्व० श्री चन्द्रदान पत्नी मदनदान चारण जाति चारण निवासी ग्राम
ढाणी सुण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर हाल आबाद ससुराल ढाणी
चारणान झाडसर कांधलान तहसील तारानगर जिला चुरू(राज.)

.....वादीनी

बनाम

1. बाली देवी पत्नी स्व० श्री चन्द्रदान जाति चारण निवासी ग्राम ढाणी सुण्डा
तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान ।
2. (आर.जी.बी.) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा फतेहपुर शेखावाटी ।
3. पटवारी पटवार हल्का ताखलसर ।
4. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर ।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर – 06/2018 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.)
व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शीला एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्रीमति मंजू
लैकरा मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 35 रकबा 4.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 36
रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.30
हैक्टर वाके ग्राम ढाणी सुण्डा पटवार हल्का ताखलसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला
सीकर राजस्थान मे वादीनी इन्द्र कंवर को सहखातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता
है। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय
आज दिनांक 19.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत Xखर्चा
इस मुकदमें का मय सूद वगेरह Xफीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19.04.2018 सन् 2018 को जारी
किया गया।



12
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी



दस्तख्त
ओहदा

उपसंग्रह अधिकारी
सोनपट राजस्थान

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	00
स्टाम्प वकालत नामा	02.00	00	स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	08.00	00	मुतफरिक		
मीशान	12.00	00	मीजान	02.00	

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना